

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

5 एच. पी. के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु ₹ 25000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी योजना अंतर्गत स्टील उद्योगों को रियायती पैकेज हेतु ₹ 21221.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,12,21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु ₹ 14100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,41,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।